

66099



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION & PROTECTION DEPT.
प्रसूच 26
(विषय 4क देखिए)
COURT FEE
Authorization No. 2618

भारत
STAMP DUTY
00000
000010
374154
INDIA



No-481/014

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 28 मुजैर; लौक सारा, मुजैर (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अनिता कुमार **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. राम स्व रूप ग्रहो आयु वर्ष,
जो ग्राम - जाड़ी विशानपुर पो + थाना - पीरी बाजार
जिला - लखीसराय (डाक का पूरा पता लिखें) का / स्त्री

निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

- मैं आर.एस.पी. शर्मा (एस.एल.) (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम 167, सुम जाड़ा विधान सभा क्षेत्र, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 108 के क्रम संख्या 455 पर प्रविष्ट है।
- मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9504690161 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी(यदि कोई हो तो) है।
- स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
	23-11	23-11		

हे/हैं	73-100	21/07/17
--------	--------	----------

(ii) निम्नलिखित मामलों (मामलों) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है



पूर्वोक्त (पूर्वोक्त) मामलों (मामलों) से निम्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	अपर जिला व न्यायाधीश लखीसराय - सत्रिका संख्या - 1005/08
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	अनु. जाति, जन जाति आदी मुझे काय संख्या 165/07 दिनांक 11-08-2007 काय संख्या 147 148, 341, 323, 504, 354, 244 448, 380 काय संख्या 30/07 (अनु.) अनु. जाति आदी
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों)(यदि कोई हों) के ब्योरे	नाही

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	अनु. जाति
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	अनु. जाति

1.	स्वयं	शु.प.	शु.प.	शु.प.
2.	पति या पत्नी	शु.प.	शु.प.	शु.प.
3.	आश्रित-1	शु.प.	शु.प.	शु.प.
4.	आश्रित-2	शु.प.	शु.प.	शु.प.
5.	आश्रित-3	शु.प.	शु.प.	शु.प.

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(1) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विलंब लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ध्योरे	शु.प.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शु.प.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु.प.
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	शु.प.
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शु.प.
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	शु.प.

(ग)	अधिरोपित दंड	शुन
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	त्वं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	500/-	शुन	शुन	शुन	शुन
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शुकी बैंक, पौरी बाजार लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 06560100 011636 रकम - 4754/- एनए 2018-2019 म.स.	शुन	शुन	शुन	शुन
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एल. आर्. वी. मॉ. लि. 524670-434 प्रतिमा 18 रकम-50,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/व्ययिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा यत्न	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याद में त (मेक जिस्ट्रीकरण संख्या) का क्रय करने का वैयक्तिक रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुल्क	आठ आठ पर सोने के जोड़े 213 मूल्य 675 रकम 21300/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	55,274/- रकम	21,300 रकम (जोड़े सोने के)			

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	मै. ज. लि. 284 किसी - 20 रकम - 417 जमीन 284	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	6 डिसेमिल	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हैं या नहीं)	हाँ	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
(ii)	नगर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अर्पाटमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.	शु.न.

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
(iv)	आवासीय भवन (अर्पाटमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	क्या निकाय में कोई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	अवर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	क्रय के समय भूमि की कीमत (क्रय की रकम में)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के व्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण 1 कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	कोई अन्य दायित्व	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन
	दायित्वों का कुल योग	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन	शुंन

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	सरकारी परिवहन (बस/ट्रक और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	आय-कर शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	संसाधन शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	सेवाकर शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	विक्रयकर शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	कोई अन्य शोध	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....रेटिल.....

(ख) पति या पत्नी.....रिटिल.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

बी.एड......वि.एच.ए......1988.....वि.एच.ए......1990

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से 10 तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु० उमिता कुमारी				
2	डाक का पता	211A-211B, निवासी पुर पति + पत्नी - पीरवाला जिला - मालवा				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	28, मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है, (अथवा स्वतंत्र दिव्य)	आर.एन.पी.आई. (एम.एन.)				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरधित किए गए हैं	शुन्य				
	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने दंडित किया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शुन्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन्य				
7का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	शुन्य	शुन्य	शुन्य		
	(ख) पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य		
	(ग) आश्रित	शुन्य	शुन्य	शुन्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

ख.	स्थावर अस्तियां					
	(i) स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	(iii) निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित अस्तियां (कुल मूल्य)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	(ख) विरासती अस्तियां (कुल मूल्य)	एक लाख रुपया	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	दायित्व	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	सरकारी शोध (कुल)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शु.००				
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००	शु.००
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	आई.एस.सी.				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभियोजी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह ऊपर घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे खिलाफ़ ऊपर उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.03.2014 को सत्यापित किया गया।

Uchit Kumar
who has signed in my
presence. Ashok Kumar
24/03/14
जमिंदारी

- टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

Uchit Kumar
I, the undersigned, Sri. Ashok Kumar No. 2
has solemnly affirmed this affidavit to my
presence on this 24 day 03 2014

NOTARY. BUSHAN